दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 26 नवंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 59

महत्वपूर्ण एवं खास

सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की हुई मौत

सतना (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के सतना जिले के मैहर थाना क्षेत्र में एक कार के ट्रक से टकरा जाने के चलते कार सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी है। पुलिस से मिली सूचना के अनुसार कार सवार लोग कल रात सतना से कटनी जा रहे थे, तथी मैहर थाना क्षेत्र के जीत नगर के समीप उनकी कार विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गयी। हादसे मे एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गयी। मृतकों की पहचान सत्यम उपाध्याय (40), मेनका उपाध्याय (35), इशानी (10) और स्नेह (08) के रुप में हुयी। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कृषि कानूनों की वापसी पर लग सकती है मुहर, भाजपा ने राज्यसभा सदस्यों को जारी किया व्हिप

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी करते हुए 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने को कहा है। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को पार्टी तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए विधेयक पेश कर सकती है। व्हिप के मुताबिक, बीजेपी सांसदों को राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके मुताबिक, सोमवार को एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी और इसे पास कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह ऐलान किया था कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी और इसके लिए संसद में आवश्यक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया था। सरकार और किसानों के बीच इन कृषि कानूनों को लेकर एक साल से टकराव चल रहा था। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान विशेष रूप से इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कानूनों को वापस लेकर किसानों को मनाने और राजनीतिक नुकसान से बचने की कोशिश की है।

यमुना नदी की सफाई के लिए यमुना प्रकोष्ठ गठित

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतर विभागीय निर्णयों में तेजी लाने और शहर में बुरी तरह से प्रदूषित यमुना नदी की सफाई के उद्देश्य से चलायी जा रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बृहस्पतिवार को यमुना सफाई प्रकोष्ठ (वाईसीसी) के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकोष्ठ के प्रमुख दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और इसमें सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि तेजी से अंतर विभागीय निर्णय लेने और उनके क्रियान्वयन के लिए हमने आज यमुना सफाई प्रकोष्ठ (वाईसीसी) बनाया है। इसके प्रमुख दिल्ली जलबोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और इसमें सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे यमुना की सफाई की प्रक्रिया में तेजी आएगी। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने यमुना नदी की सफाई के लिए छह सूत्री कार्रवाई योजना की घोषणा की थी। उम्मीद जताई गई थी कि यह काम फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा।

पीएम मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास

नई दिल्ली (आरएनएस)। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी को कर्मयोगी बताते हुए राज्य में हुए विकास के कार्यों को गिनाया तो वहीं विपक्षी दलों पर भी जमकर तीर चलाए। पीएम मोदी ने कहा कि इस एयरपोर्ट के बनने से आगरा का पेठा हो या फिर सहारनपुर का फर्नीचर या मुरादाबाद का बर्तन कारोबार सभी को गति मिलेगी।

मोदी ने कहा कि दशकों तक यूपी को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी तो कभी भ्रष्टाचार के ताने सुनने को मिलते थे। यूपी के सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या प्रदेश की छवि बेहतर हो पाएगी या नहीं। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अंधकार में बनाए रखा, वही राज्य आज दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। आज यूपी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान बन रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल की रेल कनेक्टिविटी और दुनिया की कंपनियों के निवेश का सेंटर है। यह सब कुछ आज हमारे यूपी में हो रहा है। इसीलिए देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा और निरंतर निवेश।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दाऊ जी के मेले के लिए मशहूर जेवर अब इंटरनेशनल मैप में जगह पा गया है। इससे दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों के लोगों को फायदा होगा। 21वीं सदी का भारत एक से एक आधुनिक सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और अच्छे रेलवे स्टेशन सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं बल्कि ये सबके जीवन को बदल देते हैं। मजदूरों से लेकर कारोबारियों और किसानों तक हर किसी को इसका लाभ मिलता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को और ताकत मिलती है, जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो। यह कनेक्टिविटी के लिहाज से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा।

हर जगह से नोएडा एक्सप्रेसवे तक आने की सुविधा- यहां आने जाने के लिए टैक्सी, मेट्रो से लेकर रेल तक की सुविधा होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। इसके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। इसके अलावा यूपी, दिल्ली और हरियाणा के किसी भी इलाके में जाने के लिए पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहुंच सकते हैं। यही नहीं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है। इसकी उससे भी सीधी कनेक्टिविटी होगी।

हर साल बचेंगे 15,000 करोड़ रुपये – पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां विमानों की रिपेयरिंग भी हो सकेगी। फिलहाल हर साल 15,000 करोड़ रुपये की लागत रिपेयरिंग में आती है और इस एयरपोर्ट की कुल लागत ही 30 हजार करोड़ रुपये होगी। इस तरह यह हवाई अड्डा विकास के साथ ही बचत भी कराएगा। यूपी की इसी अंतरराष्ट्रीय पहचान को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। दो से तीन सालों में यह एयरपोर्ट जब काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डों वाला राज्य बन जाएगा।

दो दशक पहले भाजपा सरकार ने ही देखा था सपना- इससे पहले यूपी और केंद्र की जो सरकारें रहीं, उन्होंने कैसे पश्चिम यूपी को नजरअंदाज किया, उसका उदाहरण यह जेवर एयरपोर्ट भी है। दो दशक पहले भाजपा की सरकार ने इसका सपना देखा था, लेकिन फिर यह यूपी और केंद्र की सरकारों की खींचतान में उलझा रहा। यूपी की पहले की सरकार ने तो चिट्ठी लिखकर कह दिया था कि इसे बंद कर दिया जाए। आज डबल इंजन वाली सरकार के प्रयासों से हम उसी एयरपोर्ट के साक्षी बन रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य पर फिर लगा प्रतिबंध

» प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि इस अवधि में प्रभावित श्रमिकों को भुगतान करें जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने बीती रात अपलोड किए गए एक अंतरिम आदेश में कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वायु प्रदूषण को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्य कांत ने सरकार से कहा हवा की गुणवत्ता खराब होने का इंतजार करने के बजाय, निकट भविष्य में वायु प्रदूषण के प्रत्याशित स्तरों के आधार पर अग्रिम योजना बनाई जानी चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा कि इस बीच एक अंतरिम उपाय के रूप में और अगले आदेश तक के लिए हम एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि निर्माण से संबंधित गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे कि प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सजावट, विद्युत कार्य और बढ़ईगीरी को जारी रखने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए 22 नवंबर से निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के अपने निर्णय को उलट दिया है।

तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली (आरएनएस)। तमिलनाडु में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने फिर से गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा कि चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, पेरम्बलुर, अरियालुर, नमक्कल, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, टूथुकुडी, तिरुनेलवेली, तंजावुर, तिरुवरुर, नागापट्टिनम जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। बीते दिनों में हुई भारी बारिश ने तमिलनाडु में काफी तबाही मचाई थी। कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को काफ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। घरों के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। भारी बारिश से कई नहर-नाले उफान पर थे और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया था।

इससे पहले, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण और एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है और अगले पांच दिनों के लिए दक्षिणी राज्यों के विभिन्न हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की है।

आईएमडी ने अगले पांच दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बहुत संभावित के रूप में हल्की से मध्यम, बिखरी हुई / काफी व्यापक वर्षा का अनुमान लगाया है।

नाबालिक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में 4 लोग गिरफ्तार

दक्षिण कन्नड़ (आरएनएस)। दक्षिण कन्नड़ जिले में आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जयबन उर्फ जय सिंह (21), मुकेश सिंह (20), मनीष तिर्की (33) और मुनीम सिंह (20) के रूप में हुई है। जय सिंह और मुकेश मध्य प्रदेश से हैं और मुनीम झारखंड से हैं।

नाबालिग लड़की एक टाइल फैक्ट्री के परिसर से लापता हो गई, जहां उसके माता-पिता काम करते थे। काफी तलाशी के बाद उसका शव फैक्ट्री से लगे नाले से बरामद किया गया। झारखंड की रहने वाली लड़की के माता-पिता को शक था कि फैक्ट्री के कर्मचारियों ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी। मंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। जांच में पता चला कि जब लड़की फैक्ट्री के परिसर में पानी की टंकी के पास अपने तीन भाई-बहनों के साथ खेल रही थी, तो आरोपी जयबन उसका मुंह ढककर एक कमरे में ले गया और उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों ने बारी-बारी से लड़की से दुष्कर्म किया।

आरोपी जयबन ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और एक अन्य आरोपी मुनीम के साथ मिलकर उसके शव को दो फुट गहरे नाले में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने, यौन शोषण और अत्यधिक रक्तस्राव की पुष्टि हुई है।

मंगलुरु के पुलिस आयुक्त एन. शशि कुमार ने दो डीसीपी और चार एसीपी की चार विशेष टीमों का गठन किया था। टीम ने फैक्ट्री के 19 मजदूरों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और कॉल सूचियों का सत्यापन किया गया और स्थानों का पता लगाया गया।

पुलिस ने एक बच्चे के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीष 11 महीने पहले फैक्ट्री में काम पर आया था और तीन आरोपी तीन महीने पहले काम पर आए थे।

घटना के बाद, दो आरोपी पुत्तूर गए और अन्य दो कारखाने के आवास पर थे और यहां तक कि खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपी ने माता-पिता के साथ हुए लड़की की तलाश भी की। पुलिस को शक है कि आरोपी ऐसे कई मामलों में शामिल रहा है। जांच जारी है।

सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश

» माननीयों पर मुकदमों के लिए बनाई जाएं विशेष अदालतें

नई दिल्ली ,(आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह सांसदों व विधायकों पर मामूली अपराधों के मुकदमों की सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष अदालतें गठित करे। इसके साथ ही अपराध की गंभीरता को देखते हुए इनसे संबंधित मामले सत्र या मजिस्ट्रेट अदालत को आवंटित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यूपी में ऐसी अदालतों का गठन नहीं होने की वजह उसके आदेश का गलत अर्थ लगाना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वह मौजूदा आदेश की पुष्टि के लिए नया परिपत्र जारी करे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश में सांसदों व विधायकों के लिए विशेष अदालतें गठित नहीं करने पर आपत्ति प्रकट की और कहा कि 16 अगस्त 2019 को हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना उसके पूर्व के दिशा निर्देशों की गलत व्याख्या पर आधारित थी। मामले में नया आदेश जारी करने वाली सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड व जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। यह आदेश उस कानूनी सवाल पर आया है कि क्या माननीयों के खिलाफ दर्ज मामूली अपराधों की सुनवाई, मजिस्ट्रेट कोर्ट की बजाए एक सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष कोर्ट में होना चाहिए? जबकि सत्र न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट की तुलना में वरिष्ठ होते हैं। मामले में आरोप लगाया गया था कि मामूली मामलों की सुनवाई सत्र न्यायाधीशों द्वारा किए जाने से आरोपी को अपील का एक अवसर कम मिलता है, जबकि अन्य सामान्य आरोपियों को पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील का अवसर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्तमान आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के विचारण योग्य केस, जिनकी सुनवाई अब तक सत्र न्यायलों में हो रही थी, उन्हें पुनः मजिस्ट्रीयल कोर्ट के पास स्थानांतरित किया जाए। इन मामलों की सुनवाई उसी स्तर से की जाए, जहां यह अभी चल रही थी। इसलिए नए सिरे से मामले की सुनवाई नहीं होगी।

अब्दुल्ला खान आजम की याचिका पर आदेश- सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अब्दुल्ला खान आजम की याचिका पर दिया है। वह सपा नेता आजम खान के बेटे हैं। उनका आरोप था कि उनका केस मजिस्ट्रीयल कोर्ट की बजाए विशेष अदालत द्वारा सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के अपने आदेश में यह नहीं कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के विचारण योग्य मामले विशेष अदालतों को ट्रांसफर किए जाएं।अपने पहले के आदेशों का जिक्र करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने हाईकोर्टों को उन मामलों को विशेष अदालतों में स्थानांतरित करने को नहीं कहा है, जिन्हें मजिस्ट्रेट अदालतों द्वारा सुना जाता है।

बढ़ी भारतीय नेवी की ताकत, नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस वेला

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय नौसेना अब और भी शक्तिशाली हो गई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में आईएनएस वेला भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई. वेला स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों में से एक है, जिसे एमडीएल द्वारा मुंबई में फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बनाया जा रहा है। आईएनएस वेला मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। देश की चौथी स्कॉर्पीन कटेगरी की पनडुब्बी आईएनएस वेला का दो साल से अधिक तक ट्रायल किए जाने के बाद आज बेड़े में शामिल किया गया।

भारत ने पहली बार मई 2019 में इसका परीक्षण किया था। जब दुश्मन से निपटने की बात आती है तो आईएनएस वेला को एडवांस्ड स्टील्थ और लड़ाकू क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इस डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है।

रिश्वत मामले में डॉक्टर व टीआई के खिलाफ ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग

मानपुर/राजनांदगांव (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के मानपुर ब्लॉक अंतर्गत औंधी इलाके में स्थानीय थानेदार व डॉक्टर पर ग्रामीण की मृत्यु पर मिले मुआवजे की राशि के एवज में मृतक के भाई से रिश्वत लेने तथा उसे जान से मारने की धमकी देने के तथाकथित मामले में स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों व यादव समाज के पदाधिकारियो ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उक्त थानेदार व डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ग्रामीण,जनप्रतिनिधि व सामाजिक नेता गण पीड़ित युवक के साथ बड़ी संख्या में औंधी थाने पहुंचे जहां उन्होंने डॉक्टर व थानेदार पर एफआईआर दर्ज करने हेतु लिखित शिकायत भी दी। इस दौरान तत्काल एफआईआर दर्ज न करने की बात को लेकर थाने में मौजूद अफसर व ग्रामीणों के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। बता दें कि औंधी थाना प्रभारी तारण दास डहरिया तथा स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर यशपाल सुमन पर तथाकथित तौर पर ग्राम बगडोंगरी के युवक तिलक यादव ने आरोप लगाया है कि शर्पदंश से उसके भाई की मौत होने पर पोस्ट मार्डम रिपोर्ट में शर्पदंश से मौत लिखने के एवज में मुआवजे की राशि से एक लाख से अधिक रुपए डॉक्टर व थानेदार ने उससे ऐंठ लिए । वहीँ इसके अलावा डॉक्टर द्वारा फिर से एक लाख रुपए की डिमांड की गई। जब उसने और पैसे देने में आनाकानी की तो डॉक्टर द्वारा जहर वाला इंजेक्शन लगाकर उसे परिवार समेत मार देने की भी धमकी दी। कुछ दिन पूर्व ही मामले पर पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद हालांकि पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी तारण दास डहरिया को सस्पेंड कर मामले की जांच एसडीओपी मानपुर को सौंप दी है लेकिन स्वास्थ्य विभाग मामले में अड़ियल बना हुआ है अब तक डॉक्टर सुमन पर कोई कार्यवाही नही हुई है।

भारत में पहली बार प्रजनन दर 2.1 पर आई

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2 हो गई है. देश में प्रजनन दर 2.1 से नीचे आने से जनसंख्या अब स्थिर मानी जा रही है.जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) घटकर दो हो गई है. 2016 में यह दर 2.2 थी. इसका मतलब है कि देश की जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर होने का संकेत है. स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है. नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. विनोद कुमार पॉल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने देश के 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण और अन्य पर प्रमुख संकेतकों की फैक्टशीट जारी की. सर्वेक्षण से पता चला है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी चरण 2 राज्यों ने प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर (2.1) हासिल कर लिया है. सर्वेक्षण में पाया गया है कि समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (सीपीआर) राष्ट्रीय स्तर पर और पंजाब को छोड़कर लगभग सभी चरण 2 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में 54 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गई है. लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीकों का उपयोग भी बढ़ा है. देश के 707 जिलों में सर्वेक्षण एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण देश के 707 जिलों के लगभग 6.1 लाख सैंपल परिवारों में किया गया है, जिसमें जिला स्तर तक अलग-अलग अनुमान प्रदान करने के लिए 7,24,115 महिलाओं और 1,01,839 पुरुषों को शामिल किया गया. स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतकों से पता चला है कि परिवार नियोजन की जरूरतों में अखिल भारतीय स्तर पर और दूसरे चरण के अधिकांश राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में 13 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है. अंतराल की आवश्यकता जो पहले भारत में एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई थी, झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में 12 प्रतिशत और अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में 13 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह गई है. बच्चों के पोषण में सुधार का दावा सर्वे में दावा किया गया है कि बच्चों के पोषण में मामूली सुधार हुआ है. स्टंटिंग 38 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गया है और कम वजन 36 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत हो गया है. लेकिन यह परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इन संकेतकों के संबंध में बहुत कम अवधि में भारी बदलाव की संभावना नहीं है.